MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(MoU)

समझौता ज्ञापन
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

यह 'समझौता ज्ञापन' (एम.ओ.यू.) 01.07.24 (प्रभावी तिथि) की इस दिनांक वाराणसी, उ.प्र., भारत से मान्य होगा।

मध्य एवं द्वारा

वसंत महिला महाविद्यालय, राजघाट फोर्ट, वाराणसी

एवं

हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन, नीदरलैंड्स

Memorandum of Understanding (MOU)

मध्य एवं द्वारा

वसंत महिला महाविद्यालय, राजघाट फोर्ट, वाराणसी

एवं

हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन, नीदरलैंड्स

प्राचीन आदि केशव मंदिर व गंगा–वरूणा के संगम तट पर स्थित वसंत महिला महाविद्यालय, राजघाट फोर्ट, वाराणसी की स्थापना 07 जुलाई वर्ष 1913 में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की अग्रणी नेता डॉ. एनी बेसेंट द्वारा की गई। 110 वर्षों से अधिक की विरासत से समृद्ध यह महाविद्यालय सबसे पुराने महाविद्यालयों में से एक है, जिसे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से मान्यता प्राप्त है ये महाविद्यालय महानदार्शनिक जे. कृष्णमूर्ति की विचारधारा से अनुप्राणित है। यह महाविद्यालय कृष्णमूर्ति फॉउण्डेशन ऑफ इण्डिया के तत्वावधान में चलता है जो शिक्षा के लिए समर्पित एक विश्वप्रसिद्ध फॉउण्डेशन है। महाविद्यालय को यू.जी.सी. अधिनियम, 1956 की धारा 2 (एफ) और 12 बी के तहत यू. जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त है। महाविद्यालय ने सत्र 2013–14 में अपना शताब्दी वर्ष मनाया। बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर पूर्व भारत जैसे विभिन्न राज्यों के विद्यार्थी यहाँ की शैक्षिक सुविधाओ से लाभान्वित होते हैं। महाविद्यालय में वर्तमान विद्यार्थियों की संख्या 3000 से अधिक है। महाविद्यालय निरन्तर विद्यार्थियों को कला, सामाजिक विज्ञान, शिक्षा और वाणिज्य के ज्ञान के साथ–साथ भारतीय संस्कृति और साहित्य का भी ज्ञान प्रदान करता है। महाविद्यालय में स्नातक, स्नातकोत्तर, पी.एच.डी. कार्यक्रम के साथ–साथ यू.जी.सी. कॅरियर ओरिएंडेड प्रोग्राम, बी.एच.यू. स्पेशल प्रोग्राम ऑफ स्टडीज के अंतर्गत सर्टिफिकेट और डिप्लोमा व एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम तथा एड–ऑन कोर्सेज भी प्रदान करता है।

महाविद्यालय का लक्ष्य आत्मविश्वासी, विश्वसनीय, तकनीक पर्यावरण के प्रति संवेदनशील, नवाचार, सामाजिक जिम्मेदारी, अनुसंधान उन्मुख नैतिक मूल्यों से सशक्त महिलाओं को तैयार करना है जो समाज में सम्मान, सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने में योगदान दे सकें। प्रो. सुशीला सिंह, पूर्व प्राचार्या, महिला महाविद्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, स्वर्गीय विजया राजेसिन्धिया, सांसद प्रो. पुष्पिता अवस्थी, अध्यक्ष, हिन्दी यूनिवर्स फॉउण्डेशन, प्रो. कल्पलता पाण्डेय, पूर्व कुलपति, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया, प्रो. संध्या सिंह, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली, प्रसिद्ध वरिष्ठ चित्रकार पद्मिनी मेहता, प्रो. मनुलता शर्मा, पूर्व अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी आदि इस महाविद्यालय के गौरवशाली विद्यार्थी रहे हैं। महाविद्यालय ऐसे वातावरण में काम करने का प्रयास करता है, जहाँ कोई भय नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, केवल–प्रेम, स्नेह व स्वस्थ सम्बन्ध है। महाविद्यालय विद्यार्थियों के शैक्षणिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

एवं

हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन की अध्यक्षा प्रोफेसर पुष्पिता अवस्थी हैं। भारतीय संस्कृति के प्रवक्ता और विश्व में हिंदी भाषा के प्रभुत्व संस्थापक भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेई जी की प्रेरणा से सूरीनाम में सातवें विश्व हिंदी सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद पुष्पिता जी के भारत पहुंचने पर अपनी मुलाकात में उन्होंने हिंदी प्रचार प्रसार निर्मित हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन का प्रस्ताव रखा। अटल जी को फाउंडेशन का संरक्षक घोषित करते हुए सन् 2006 में हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन नीदरलैंड की हिंदी प्रचार प्रसार निमित्त 25 दिसंबर को स्थापना की गई। इसकी पंजीकरण 2008 में हुआ।

इस अंतराष्ट्रीय संस्थान हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन का मूल उद्देश हिंदी हिताय है। विश्व स्तर पर भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति का एक बहुआयामी मंच है जिसमें हिंदी रचनाओं का यूरोपीय भाषाओं में तथा यूरोपीय भाषाओं का हिंदी रूपांतरण एवं साहित्यिक सांस्कृतिक पर्यटन को प्रोत्साहन देना भी शामिल है। फाउंडेशन का यह विशेष प्रयत्न है कि सम्बद्ध होकर हिंदी भाषा और साहित्य का प्रचार करे, इसके साथ–साथ वहां की संस्थाओं का समग्रता प्रदान करने का हर स्तर पर सार्थक प्रयास करें। इस दिशा में सूरीनाम, मॉरीशस, और यूरोप के कुछ देशों में संस्थान विशेष रूप से सक्रिय है।

हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन समय–समय पर साहित्यिक गतिविधियों के अंतर्गत व्याख्यान, संगोष्ठी, शिविर, छात्रवृत्ति, शोधवृत्ति और फेलोशिप आदि कार्यक्रमों का भारत और विदेशों में नियोजन एवं आयोजन करता है। इसके अतिरिक्त नवोदित लेखन पुरस्का। नवोदित लेखकों की पुस्तकों का प्रकाशन और हिंदी भाषियों के लिए कार्यशाला, अध्ययन, यात्राएं, रचनाकार बैठकें, कवि सम्मेलन और पाठक संकुल आदि का आयोजन करता है।

उद्देश्य–

इसमें अनुसंधान प्रकाशनों, अकादमिक कार्यक्रमों और अनुसंधान परियोजनाओं पर विचारों का आदान–प्रदान को बढ़ावा देना भी सम्मिलित है।

इस तरह के कार्यक्रमों में निम्नलिखित में से कोई भी या सभी गतिविधियां सम्मिलित हो सकती हैं:
1) आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोगी अनुसंधान को बढ़ावा देना।
2) अल्पकालिक शैक्षणिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास।
3) संयुक्त रूप से आयोजित शैक्षणिक बैठकों, संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन।
4) दोनों संस्थाओं द्वारा हिंदी भाषा के प्रचार–प्रसार एवं विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला, शोध, संगोष्ठी, परिचर्चा सभी में सहभागिता रहेगी।
5) दोनों संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन किया जा सकेगा।
6) दोनों पक्ष किसी भी क्षेत्र में पारस्परिक हितों को ध्यान में रखते हुए सहमत हो सकते हैं।

अनुच्छेद 1: कार्यक्षेत्र, लक्ष्य एवं सहयोग के स्वरूप

प्रत्येक पक्ष निम्नलिखित गतिविधियों के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करने के लिए सहमत हैं :

1) प्रकाशनों, अध्ययन कार्यक्रमों, शैक्षणिक परियोजनाओं, पाठ्यक्रम की जानकारी, संगोष्ठियों, परिचर्चाओं, सम्मेलनों तथा सामान्य रुचि की अन्य सूचनाओं व तथ्यों का आदान–प्रदान किया जाएगा।
2) सभी संयुक्त गतिविधियों को आपसी सहमति, उपयुक्त संस्थान इकाई के स्पष्ट रूप से स्थापित शर्तों एवं पारस्परिक दायित्वों के माध्यम से पूर्ण किया जाएगा।

अनुच्छेद 2: प्रबंधन

1) दोनों संगठनों के बीच सहयोग के परिचालन, विवरण तैयार करने तथा इस समझौता ज्ञापन के उचित व प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए दोनों संस्थानों के प्राचार्य और अध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।

2) दोनों पक्ष मिलकर एक संयुक्त सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा, जिसे गतिविधियों की समीक्षा के लिए – एक बार बैक करना होगा और अनुसंधान गतिविधियों पर प्रस्तुतीकरण सम्मिलित होगा।

अनुच्छेद–3 समझौता ज्ञापन का कार्यान्वयन

1) यह स्पष्ट है कि दोनों पक्ष समान अवसर के सिद्धांतों का पालन करते हुए राज्य, लिंग, आयु, जाति, पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं।
(2) सभी प्रकार के व्यय का दायित्व संबंधित छात्र का होगा (किसी भी संस्थान द्वारा अपने विद्यार्थियों के साथ शुक पर आधारित किए गए कोई भी समझौता उनका निजी विषय होगा।)
3) साहित्य, भाषा और संस्कृति के लिए फाउंडेशन शिक्षकों के साथ संगोष्ठी और कार्यशाला रखेगा।
4) दोनों ही पक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देंगे तथा अंतर्विषयक कार्यों को प्राथमिकता देते हुए संयुक्त परियोजनाओं को पूर्ण करेंगे।

अनुच्छेद– 4 नियम एवं शर्तें

1) सभी संयुक्त गतिविधियाँ या परियोजनाएं जो कि समझौता ज्ञापन की अवधि समाप्त होने की दिनांक तंक अपूर्ण रह गई हैं उन्हें इस एमओयू' की शर्तों के आधार पर पूर्ण होने तक जारी रखी जा सकती हैं।
2) समझौता ज्ञापन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन अथवा संशोधन मान्य नहीं होगा जब तक कि दोनों पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधियों की परस्पर सहमति से इसे संशोधित न किया हो। वह संशोधन या परिवर्तन दोनों के हस्ताक्षर की दिनांक से प्रभावी माना जाएगा।
3) दोनों पक्षों द्वारा इस समझौता ज्ञापन पर केवल शैक्षणिक, अनुसंधान एवं विकास के उद्देश्य से विचार किया जाएगा।

अनुच्छेद–5 मध्यस्थता –

1) जिन विषयों का समझौता ज्ञापन में उल्लेख अथवा निर्धारण नहीं किया गया है, उन विषयों पर सद्भावनापूर्ण चर्चा द्वारा निर्णय लिया जाएगा तथा इस प्रकार के निर्णय दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति से समझौता ज्ञापन के लिखित संशोधन में सम्मिलित किए जाएंगे।
2) इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) को दो प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा जिनमें से एक प्रति को प्रथम पक्ष द्वारा तथा दूसरी प्रति को द्वितीय पक्ष द्वारा रखा जाएगा। इस समझौता ज्ञापन सम्बन्धी किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायाधिकरण वाराणसी (होगा)।
3) यह समझौता हस्ताक्षर की तिथि से प्रभावी होगा और समझौते की तिथि से पांच (5) वर्षों के लिए वैध रहेगा, जब तक कि इसे दोनों पक्षों के बीच आपसी लिखित समझौते द्वारा पहले ही समाप्त, निरस्त या संशोधित नहीं कर दिया जाता है, और इसे आपसी लिखित समझौते द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

दोनों पक्षों के प्रतिनिधि इस समझौता ज्ञापन के साक्षी है तथा वे यहाँ निहित शर्तों को सहमति से स्वीकार करतें है।

प्रतिलिपियों पर हस्ताक्षर

इस समझौते की प्रतिलिपियों के अधिकारिक संस्करण की वैधता समान रूप से लागू होगी।

प्रो० अलका सिंह
प्राचार्य, वसंता कॉलेज फॉर वूमेन
राजघाट, वाराणसी

साक्षी Pratima Verma

दिनांक– 01 07 24

प्रो. पुष्पिता अवस्थी
अध्यक्ष, यूनिवर्स फाउंडेशन
नीदरलैंड्स

साक्षी

दिनांक–